<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

08.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने 07-04-2025 को लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज , नोएडा (उप्र) और मुंबई में 10 स्थानों पर मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड व अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। अपराध की आय का पता लगाने और उसे उजागर करने के लिए मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अन्य निदेशकों और ठेकेदारों के साथ-साथ पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के आवासों और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई।

मेसर्स जीईएल कंपनी द्वारा अपने निदेशकों/प्रमोटरों/गारंटरों के साथ मिलीभगत करके 754 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी करने के बाद सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार ईडी ने पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी के मुख्य प्रमोटर विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा संचालित और नियंत्रित विभिन्न संबंधित कागजी संस्थाओं में पैसे की हेराफेरी और गबन किया गया जिससे बैंकों के संघ को 754 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। उनके कई रिश्तेदार मेसर्स जीईएल कंपनी में निदेशक, शेयरधारक या गारंटर हैं।

इस मामले में दो अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए गए। पहला पीएओ दिनांक 17.11.2023 को 72.08 करोड़ रुपये का तथा दूसरा पीएओ दिनांक 18.03.2024 को 30.86 करोड़ रुपये का जारी किया गया जिसकी पुष्टि विद्वान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई।

तलाशी के दौरान पाया गया कि निवेश की आड़ में धन को विपथित किया गया तथा इसके समूह की कंपनियों को ब्याज मुक्त ऋण और अग्रिम राशि दी गई। जब ऋण खाता एनपीए हो गया तो कुछ उच्च मूल्य की संपत्तियों को बिना किसी प्रतिफल के बेनामी /कागजी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद हुए।

तलाशी के दौरान, 07.04.2025 को कंपनी के मुख्य प्रमोटर और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति अजीत पांडेय नामक 02 व्यक्तियों को तलाशी परिसर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, उन्हें माननीय न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने दोनों व्यक्तियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत प्रदान की। इसके बाद, उन्हें लखनऊ जेल भेज दिया गया। इसके अलावा, माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपियों की ईडी रिमांड लेने के लिए प्रार्थना की गई और इसे 11.04.2025 तक मंजूर कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।